संख्या-110/2016/1409/नौ-5-2016-185बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
जौनपुर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 28 अप्रैल, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-5673/नौ-5-2014-185बजट/2014 दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा रू. 297.99 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 148.99 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। संदर्भित निकाय द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः नगर पालिका परिषद, जौनपुर जनपद जौनपुर को उनके अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में चालू कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि के सापेक्ष **रू. 149.00 लाख (रू. एक करोड़ उनचास लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू. में)

क्रम सं0	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	जौनपुर	नगर पालिका परिषद, जौनपुर	5673/नौ-5-2014-185बजट/2014 दिनांक 10 अक्टूबर, 2014	297.99	148.99	149.00
			योग			149.00

(रू. एक करोड़ उनचास लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31-07-2016 तक संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(5) शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 में उल्लिखित शर्ते पूर्ववत रहेगीं।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-110/2016/1409(1)/नौ-5-2016-185बजट/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, वाराणसी।
3. जिलाधिकारी, जौनपुर।
4. कोषधिकारी, जौनपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जौनपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-28/04/2016

प्रेषण संख्या:- 110

आवंटन आदेश संख्या:- 001-110-2016-1409-9-5-2016-185B-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जौनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14900000 14900000	14900000 14900000
	योग	वर्तमान प्रगामी	14900000 14900000	14900000 14900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनचास लाख

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी